न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस

मुकदमा नं0 16/2025

1. मोहम्मद शकील पुत्र मोहम्मद अनीस जाति मुसलमान नि0 56 महानत कॉलोनी खातीपुरा झोटवाडा जयपुर राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जोबनेर।
2. अर्पित खण्डेलवाल पुत्र राजेन्द्र खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी प्लॉट नं0 56ए सहकार मार्ग खातीपुरा, झोटवाडा जयपुर राज0।
3. अशोक कुमार औला पुत्र बिरदीचंद जाति जाट, औला की ढाणी ग्राम कालख जोबनेर जयपुर।
4. चन्द्रकला पत्नि देवकीनन्दन शर्मा जाति ब्राहम्ण 353 गुरूनानकपुरा आर्दश नगर जयपुर।
5. निधि गुप्ता पत्नि निखिल गुप्ता जाति महाजन नि0 प्लॉट नं0 477 निर्माण नगर अजमेर रोड जयपुर।
6. लालचन्द पुत्र भैरूराम जाति जाट नि0 सभरामपुरा पोस्ट भम्भोरी कालवाड़ जयपुर।
7. शंकरलाल पुत्र कानाराम जाति प्रजापत नि0 158,159 तिरूपति विहार गोविन्दपुरा कालवाड रोड जयपुर राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित :— 1. श्री सुरेश कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी

दिनांक :— 18/06/2025

निर्णय

प्रार्थी के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 77/3 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा जो वाके ग्राम कालख प0ह0 कालख भू0अभि0नि0क्षेत्र जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित है जिसमे वादी ने 331/6500 अर्थात 6.62 बिस्वा भूमि अर्थात 1000 वर्गगज भूमि प्रार्थी ने दिनांक 09/10/2014 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा तारा सिंह पुत्र श्री गंगा सिह से क्रय की गई थी तथा उक्त विक्रय पत्र को उप पंजीयक सांभरलेक जिला जयपुर के यहां दिनांक 9/10/2014 को पुस्तक सं01 जिल्द सं0 498 मे पृष्ठ

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

सं0 89 कम सं0 2014008226 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं01 जिल्द सं0 805 के पृष्ठ सं0 261 से 270 पर चस्पा किया गया।

वादी ने उक्त आराजी प्रतिवादी सं07 तारासिंह पुत्र गंगासिंह से क्रय की थी वादी द्वारा अपने पक्ष मे बेचान पत्र तस्दीक करवाते समय प्रतिवादी तारा सिंह के पक्ष मे नामान्तरण तस्दीक नही होने से वादी ने अपने पक्ष मे रजिस्ट्री उक्त तारा सिंह के पक्ष मे हुई रजिस्ट्री के आधार पर तस्दीक करवाई थी। राजस्व कर्मचारियो व पटवारी की लापरवाही से वादी के बेचान पत्र के आधार पर हुये हिस्से का नामान्तरण व तारासिंह के पक्ष मे नामान्तरण 331/6500 की बजाय 331/19662.50 दर्ज कर दिया जो वादी के 6.62 बिस्वा की जगह 2.19 बिस्वा कर दिया गया। जिसकी जानकारी वादी को दिनांक 7/01/2025 को अपनी भूमि की जमाबंदी ऑनलाईन प्राप्त करने पर प्राप्त हुई जिसके पश्चात वादी ने अपना राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त किया व राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त करने के पश्चात वादी ने तहसीलदार जोबनेर व पटवार हल्का कालख से सम्पर्क किया गया तो उन्होने न्यायालय मे वाद पत्र करने की हिदायत दी व वादी की भूमि मे हुई शुद्धि को ठीक करने से इंकार कर दिया। जिस कारण उक्त वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। न्यायहित मे यह आवश्यक है कि ख0न0 77/3 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा जो वाके ग्राम कालख प0ह0 कालख भू0अभि0नि0क्षेत्र जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित है जिसमे वादी का उक्त हिस्सा जमाबंदी मे 331/19662.50 दर्ज कर दिया गया को दुरूस्त किया जाकर 331/6500 दर्ज किया जाना आवश्यक है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र मे वर्णित ख0न0 77/3 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा जो वाके ग्राम कालख प0ह0 कालख भू0अभि0नि0क्षेत्र जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित है जिसमे वादी का हिस्सा सही कर वर्तमान जमाबंदी मे प्रार्थी का अंकित हिस्सा 662/39325 की बजाय सही हिस्सा 331/6500 हिस्सा घोषित किये जाने के आदेश न्यायहित फरमावे। इस बाबत् तहरीर दुरूस्ती हेतु तहसीलदार जोबनेर को भिजवाने का श्रम करे। वाद वादी बाबत स्थाई निषेधाज्ञा डिग्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे किवे वाद पत्र के मद नं01 मे वर्णित वादी के हिस्से 331/6500 अर्थात 6.62 बिस्वा भूमि मे किसी प्रकार की मजाहमत नही करे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 6 एवं 7 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 2 व 5 मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आएं तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु अनापत्ति जाहीर की।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब/रिपोर्ट इस आशय की पेश की गयी है कि वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2075–78 खाता सं0 07 के अनुसार ख0न0 77/3 रकबा 1.6439 है0 की खातेदारी मोहम्मद शकील सागर पुत्र मोहम्मद अनीस हि0 662/39325 जाति मुसलमान सा. देह के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है शेष हिस्सा खातेदार जमाबंदी बदस्तुर खातेदार मोहम्मद शकील सागर द्वारा धारा 136 के तहत अपने हिस्से 662/39325 की जगह 331/6500 शुद्ध कराना चाहता है। प्रार्थी खातेदार मोहम्मद शकील विक्रय पत्र दिनांक 9/10/2014 के अनुसार ख0न0 77/3 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा मे से 331/6500 अर्थात 0.02 बिस्वा भूमि तारासिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत से विक्रय की गई है।

उक्त खसरा नं0 77/3 रकबा 6–10 बीघा हि0 331/6500 तारासिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत ने दिनांक 23/6/2010 के अनुसार शंकरलाल पुत्र कानाराम जाति प्रजापत से उक्त हिस्सा भूमि खरीदा गया है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 23/6/2010 व विक्रय पत्र दिनांक 9/10/14 का नामान्तरण संख्या 1994 दिनांक 2/2/2015 द्वारा विकेता शंकरलाल हिस्सा 6448.25/19662.50 मे से केता तारासिंह पुत्र गंगासिंह हिस्सा 331/19662.50 स्वीकृत हुआ जिसके अनुसार उक्त भूमि मे केता तारासिंह के हिस्से मे 0.0219(2.19) बिस्वा भूमि का अंकन हुआ। जबकि विक्रय पत्र मे 6.62 बिस्वा भूमि का था। उक्त गलती सहवन के कारण नामान्तरण दर्ज से समय से हो गई। उक्त के अनुसार ही नांमा0 सं0 2000 दिनांक 10/02/2015 को तारासिंह हि0 331/19662.50 केता मोहम्मद शकील का दर्ज हुआ। जो आदिनांक जमाबंदीयो मे चला आ रहा है। उक्त गलत हिस्सा नामां0 दर्ज करते समय सहवन के कारण दर्ज हो गया। वर्तमान जमाबंदी मे विक्रय पत्र दिनांक 23/6/10 व 09/10/14 के अनुसार खातेदार मोहम्मद शकील का हिस्सा 662/39325 की जगह 837/16439 (6.62 बिस्वा या 0.0837 है0) व खातेदार शंकरलाल पुत्र कानाराम हिस्सा 151396483/646463675 की जगह हिस्सा 129364076/646463675 शुद्धि किया जाना उचित है व शेष खाते मे अन्य खातेदारो का हिस्सा सही दर्ज है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हिस्सा दुरूस्ती के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 5 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हिस्सा दुरूस्त करने हेतु सहमति प्रदान की गयी। हमने बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि खसरा नं0 77/3 रकबा 6–10 बीघा हि0 331/6500 तारासिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत ने दिनांक 23/6/2010 के अनुसार शंकरलाल पुत्र कानाराम

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

जाति प्रजापत से उक्त हिस्सा भूमि खरीदा गया है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 23/6/2010 व विक्रय पत्र दिनांक 9/10/14 का नामान्तरण संख्या 1994 दिनांक 2/2/2015 द्वारा विक्रेता शंकरलाल हिस्सा 6448.25/19662.50 मे से केता तारासिंह पुत्र गंगासिंह हिस्सा 331/19662.50 स्वीकृत हुआ जिसके अनुसार उक्त भूमि मे केता तारासिंह के हिस्से मे 0.0219(2.19) बिस्वा भूमि का अंकन हुआ। जबकि विक्रय पत्र मे 6.62 बिस्वा भूमि का था। उक्त गलती सहवन के कारण नामान्तरण दर्ज से समय से हो गई। उक्त के अनुसार ही नांमा0 सं0 2000 दिनांक 10/02/2015 को तारासिंह हि0 331/19662.50 केता मोहम्मद शकील के दर्ज हुआ। जो आदिनांक जमाबंदीयो मे चला आ रहा है। उक्त गलत हिस्सा नामां0 दर्ज करते समय सहवन के कारण दर्ज हो गया। वर्तमान जमाबंदी मे विक्रय पत्र दिनांक 23/6/10 व 09/10/14 के अनुसार खातेदार मोहम्मद शकील का हिस्सा 662/39325 की जगह 837/16439 (6.62 बिस्वा या 0.0837 है0) व खातेदार शंकरलाल पुत्र कानाराम का हिस्सा 151396483/646463675 की जगह हिस्सा 129364076/646463675 शुद्धि किया जाना उचित है व शेष खाते मे अन्य खातेदारो का हिस्सा सही दर्ज है। अतः मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 09/10/14 एवं पटवार हल्का कालख रिपोर्ट दिनांक 17.05.2025 अनुसार हिस्सा दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आज्ञा है किः–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। खसरा नंबर 77/3 में रकबा 1.6439 हे0 में तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 28.05.2025 के अनुसार प्रार्थी मोहम्मद शकील सागर पुत्र मोहम्मद अनीस का सही हिस्सा दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार, जोवनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट निर्णय के साथ जुज रहेगी। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 18/06/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

देवेन्द्र सिंह चौहान
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर